

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:- "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०" को क्रय एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1468/अ०आ०वि०/गे०ख०-मिसलेनियस/2017-18 दिनांक 14-04-2017 द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2017-18 में केन्द्रीयपूल प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-6/2017/139/29-5-2017-5(1)/2017 दिनांक 31-03-2017 के प्रस्तर 3.2 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०" को गेहूँ क्रय एजेन्सी नामित किया गया है।

2- "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०" द्वारा 200 क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेगे तथा इसका न्यूनतम लक्ष्य 3.00 लाख मी० टन तथा कार्यकारी लक्ष्य 5.00 लाख मी० टन होगा। "उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०" द्वारा गेहूँ खरीद का कार्य उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31-03-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त नामंकन के उपरान्त खाद्य विभाग का न्यूनतम लक्ष्य 10.00 लाख मी०टन से घटकर 07 लाख मी० टन तथा कार्यकारी लक्ष्य 20.00 लाख मी० टन से घटाकर 15.00 लाख मी०टन हो जायेगा।

3- गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या-6/2017/139/29-5-2017-5(1)/2017 दिनांक 31-03-2017 इस सीमा तक सन्शोधित समझा जाय।

4- यह आदेश अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव।

-----2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 09 /2017/217 (1)/29-5-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
- 2- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/ न्याय विभाग।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 7- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
- 8- निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
- 9- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग 7 बालाक दर रोड, लखनऊ।
- 11- निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र० लखनऊ।
- 12- कृषि निदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 13- अपर आयुक्त (विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इस आदेश की प्रति अन्य संबंधित क्रय एजेन्सी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ।
- 15- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ०प्र०।
- 16- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०।
- 17- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 18- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
- 19- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, बाला कदर रोड. लखनऊ।
- 20- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 21- मीडिया सलाहकार, मा०मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
- 22- गार्ड फाइल/एन०आई०सी०, लखनऊ।

आज्ञा से

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।